

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/127/2023

रजू दिनांक: 03.11.2023

रजि0 न0 2023/508


अपीलार्थी:-

श्री हरदवारी लाल, ई-30, भूतल, प्रीत  
विहार, दिल्ली पिन-110092

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सक्षम  
प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं  
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर  
(राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



दिनांक:- 21.12.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2023 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.12.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी पदेन सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज0) को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, की यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जावे, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(उत्तम सिंह शेखावत)  
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)